25-2-2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी के वकील ने इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहने से Not Press किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अरिये Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकर से हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Not Press